



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी बज्जू उर्फ वाजिद को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त बज्जू उर्फ वाजिद पुत्र सिराजुद्दीन निवासी काशीराम कॉलोनी कस्बा बड़ौत थाना बड़ौत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 1019/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त बज्जू उर्फ वाजिद पुत्र सिराजुद्दीन को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी इरफान उर्फ सोनू को हुई 05 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त इरफान उर्फ सोनू पुत्र समयदीन निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 225/2014 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इन अभियोगों में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 16.10.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त इरफान उर्फ सोनू पुत्र समयदीन को हुई 05 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक

16.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 674/24 धारा 333/115(2)/109 बीएनएस में वांछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.10.2024 को थाना बडौत पर बाबूराम पुत्र ताराचन्द निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1. जोगेन्द्र कुमार पुत्र पाल्लेराम, 2. सन्नी कुमार पुत्र पाल्लेराम निवासीगण ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा उसके घर में घुसकर उसके पुत्र अमरीश पर जान से मारने की नीयत से लोहे की रोड से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया



। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 674/24 धारा 333/115(2)/109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 674/24 धारा 333/115(2)/109 बीएनएस में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-जोगेन्द्र कुमार पुत्र पाल्लेराम निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-सन्नी कुमार पुत्र पाल्लेराम निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री रामकुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-है०का० 437 बलजीत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का० 433 गौरव सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनाँक 16.10.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 868/2024 धारा 305(क) बीएनएस से सम्बन्धित 01 को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ परचून का सामान व 7590 रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 16.10.2024 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी सतपाल सिंह पुत्र कर्म सिंह निवासी अग्रवाल मण्डी करबा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि किसी अज्ञात चोर द्वारा रात्रि में उसकी दुकान से करीब दस हजार रुपये, बिस्कुट के पैकेट, सरसों के तेल की शीशी व सर्फ आदि सामान चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त



प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 0868/2024 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 868/2024 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी किया हुआ परचून का सामान व 7590 रुपये नगद बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-


हिमांशु पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम शाहपुर आदमपुर थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फर नगर।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ परचून का सामान।
- चोरी किये हुए 7590 नगद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० श्री महावीर सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2. उ०नि० श्री युवनीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3. है०का० 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4. का० 333 नितेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 16.10.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

नवनीत पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम लधवाड़ी
थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0यू0टी0 श्री अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-का0 1038 अरविन्द कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-हो0गा0 304 सुशील शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 16.10.24

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 345/24 धारा 305 बीएनएस में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 जोड़ी पाजेव (सफेद धातु), 01 ब्रेसलेट (सफेद धातु) व 01 रुपया (सफेद धातु) बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.10.24 को थाना खेकड़ा पर वादी शाबिर पुत्र अख्तर कस्बा रटौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि उसके घर में से अज्ञात चोरों द्वारा कीमत आभूषण चोरी कर लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 345/24 धारा 305 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 345/24 धारा 305 बीएनएस में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 जोड़ी पाजेव (सफेद धातु), 01 ब्रेसलेट (सफेद धातु) व 01 रुपया (सफेद धातु) बरामद हुआ है ।

उपरोक्त अभियोग में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर धारा 331(4)/317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अली पुत्र अनवार निवासी कस्बा रतौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. टक्कर उर्फ शहनवाज पुत्र अकरम कस्बा रतौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. पौली उर्फ शहजाद पुत्र नूर मोहम्मद कस्बा रतौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 जोड़ी पाजेव (सफेद धातु) ।
- 01 ब्रसलेट (सफेद धातु) ।
- 01 रुपया (सफेद धातु) ।



गिरफ्तार अभियुक्त टक्कर उर्फ शहनवाज का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 338/20 धारा 380/411 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
2. मु0अ0सं0 73/23 धारा 457/380/120बी भादवि थाना चांदीनगर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 66/23 धारा 380 भादवि थाना चांदीनगर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
4. मु0अ0सं0 238/24 धारा 115(2)/126(2) /131/351(2)/352 बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
5. मु0अ0सं0 345/24 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री सत्यवीर परमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2.उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3.है0का0 392 उमेश भाटी थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 4.है0का0 497 राधेश्याम थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 5.का0 789 योगेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 6.का0 690 अभिषेक कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 7.का0 1034 हरिसिंह थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 16.10.2024

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 मोटर साइकिल टी.वी.एस. स्पोर्ट फर्जी नम्बर प्लेट नं0-UP-14FY-4415 लगी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोटर साइकिल टी.वी.एस. स्पोर्ट फर्जी नम्बर प्लेट नं0-UP-14FY-4415 लगी बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सुनील पुत्र कालू निवासी पट्टी ठून्ठा ढिकौली थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोटर साइकिल टी.वी.एस. स्पोर्ट फर्जी नम्बर प्लेट नं0-UP-14FY-4415

गिरफ्तार अभियुक्त सुनील का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 109/13 धारा 60/72 आबकारी अधि0 थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
2. मु0अ0स0 31/2009 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
3. मु0अ0स0 208/2008 धारा 457/380 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
4. एनसीआर न0 35/2008 धारा 504/506 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
5. मु0अ0स0 65/2024 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
6. मु0अ0स0 203/2024 धारा 345(3)/336(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
2. उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
3. का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 16.10.2024

थाना दोघट पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

राकेश उर्फ संजय लुहार पुत्र पांचाल निवासी ग्राम लधवाडी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री दिनेश कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 16.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ है।



उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना-बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साजिद पुत्र युनुस निवासी गांधी सिटी फेस थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 अवैध पिस्टल .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री आशीष कुमार चौधरी थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. है०का० 65 महिपाल सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. का० 1058 शरद यादव थाना बडौत जनपद बागपत ।
4. का० 984 दीपक शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत ।
5. का० 545 मनीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
6. का० 142 दीपक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 16.10.2024

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 677/24 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस व 4/10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे चोरी से काटी हुई 04 क्विंटल प्रतिबन्धित लकड़ी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण -

दिनांक 15.10.2024 को थाना बडौत पर वादी श्री सुनेन्द्र सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्त आरिफ पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला विजयनगर कस्बा बडौत थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा



जंगल ग्राम बाबली शेरपुर लुहारा मार्ग से चोरी से काटी हुई 04 क्विंटल प्रतिबन्धित लकड़ी के साथ अभियुक्त आरिफ पुत्र यासीन को वादी श्री सुनेन्द्र सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी बडौत द्वारा अपने कर्मचारियों की सहायता से मौके पर पकड़ लिया गया

तथा अभियुक्त आरिफ को पकड़कर थाना बड़ौत पर लाया गया । थाना बड़ौत पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित लकड़ी को कब्जे में लेकर अभियुक्त आरिफ को गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर एवं गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 677/24 धारा 303(2)/317(2) बी.एन.एस व 4/10 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आरिफ पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला विजयनगर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी से काटी हुई 04 क्विंटल प्रतिबन्धित लकड़ी ।

गिरफ्तार (कब्जा पुलिस) करने वाली पुलिस टीम-

- 1-का0 712 विनय कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-कम्प्युटर आपरेटर अनुज कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-एचजी 289 प्रवेन्द्र कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बालैनी

दिनांक 16.10.24

थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तरस्कर को किया गिरफ्तार,
जिसके कब्जे से 24 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तरस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 24 पच्चे अवैध अंग्रेजी शराब अरुणाचल प्रदेश मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

दीपक कुमार पुत्र ऋषिराज निवासी ग्राम रोशनगढ थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 24 पच्चे अवैध अंग्रेजी अरुणाचल प्रदेश मार्का ।

गिरफ्तार दीपक कुमार आपराधिक इतिहास-

- 1.मु0अ0सं0 281/22 धारा 323/393/504 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2.मु0अ0सं0 152/24 धारा 63 आवकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2.का0 809 शिवकुमार सोलंकी बालैनी जनपद बागपत ।
- 3.का0 1037 अभिषेक यादव थाना बालैनी जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनांक- 16.10.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल टी.वी.एस. अपाचे बिना नम्बर प्लेट व 01 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल टी.वी.एस अपाचे बिना नम्बर प्लेट व 01 अवैध चाकू बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 284/24 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

साकिब पुत्र उमरदीन उर्फ टेनू निवासी गिरी मार्केट (डाबर) थाना लोनी जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोटर साइकिल टी.वी.एस अपाचे बिना नम्बर प्लेट(एफआईआर नं0 030960 पुलिस स्टेशन ई पुलिस स्टेशन) ।

- 01 अवैध चाकू ।

गिरफ्तार अभियुक्त साकिब का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 18/24 धारा 147/323/504/506 आईपीसी थाना अंकुर बिहार कमिश्नरेट जनपद गाजियाबाद
2. एफआईआर नं0 030960 दिनांक 7/10/24 पुलिस स्टेशन ई पुलिस स्टेशन एमवी थेफ्ट लाल बिल्डिंग एनएसपी दिल्ली ।
3. मु0अ0सं0 231/24 धारा 305(2) बीएनएस थाना सिंघावली अहीर बागपत।
4. मु0अ0सं0 284/24 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिंघावली अहीर बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री सोनू कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
2. है0का0 613 नवीन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 440 राशिद खान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
4. का0 406 रविन्द्र कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
5. का0 399 राहुल चौहान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

